



138

सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह CUSTOM HOUSE कोचिन COCHIN- 682009
Willingdon Island, Kochi – 682 009

Tel: 0484-2668068/2668390. PBX:0484-2666861 to 6864. Fax: 0484-2668468.

परिपत्र CIRCULAR. No. 49 / 2015

विषय : स्थाई व्यापार सुविधा समिति - दिनांक 12.08.2015 को आयोजित 116वीं बैठक का कार्यवृत्त-संबंधित।

Sub: Permanent Trade Facilitation Committee - Minutes of the 116th meeting held on 12.08.2015- Reg.

स्थायी व्यापार सुविधा समिति की 116वीं बैठक दिनांक 12.08.2015 को 15:30 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। डॉ. के.एन. राघवन, सीमाशुल्क आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे:

The 116th meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 15:30 hrs on 12.08.2015 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Dr. K.N. Raghavan, Commissioner of Customs chaired the meeting. The following officers of Customs were present:

1. Shri. S Anil Kumar, Addl. Commissioner
2. Smt. S.Srimathi , Dy. Commissioner
3. Smt. B.Usha Devi , Dy. Commissioner
4. Smt. B Umadevi, Asst. Commissioner
5. Shri. Prasanth K C S, Supdt. of Customs
6. Shri. K A Jathin, Appraising Officer
7. Shri. Bindu, Supdt. of Customs
8. Shri.Bhuvanachandran, Scientist'D', NIC.

व्यापार और व्यापार संबंधी अन्य सरकारी संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधि

The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by

1. Shri. Raj Vinod P., Cochin Port Trust
2. Shri. Abdul Azzez, Indian Chamber of Commerce & Industry
3. Shri. Abraham Philip, Cochin Customs Brokers Association
4. Shri.Viren K Khona, All India Spice Exporters Forum
5. Shri.Clinton Choweller, Cochin Steamer Agents Association
6. Shri. Prakash Iyer , Cochin Steamer Agents Association
7. Shri.Rajendran P.P., CFS, Falcon, Kalamassery
8. Shri.V.VeeraRaghav, CFS, GDKL, Vallarpadom
9. Shri.Mathew George, Consolidator's Association of India
10. Shri.Vency, Consolidator's Association of India
11. Shri. N N Menon, Export Promotion Council for EOU & SEZ Units

12. Shri.A K Vijayakumar, Federation of Indian Export Organisations
13. Shri. Mathew .P.V.,Trans Asia Line
14. Shri. Wilson Thomas, Trans Asia Line
15. Shri. R.Sekar, Concor India Ltd
16. Shri.Doles P.E., FSSAI
17. Shri. Mukul Nayan ,India Gateway Terminal Pvt .
18. Shri Krishnan Kumar,India Gateway Terminal Pvt

आयुक्त महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और पिछली बैठक के कार्यवृत्त और उस पर की गई कार्रवाई पर विचार किया गया। इसके बाद नए बिंदु उठाए गए।

The Commissioner welcomed the members to the meeting and minutes of the previous meeting and the action taken thereon was taken for consideration after which fresh points were taken up.

पिछली बैठक के बिंदुओं पर की गई कार्रवाई
Action on minutes of last meeting

1. कोचिन सीमाशुल्क की वेबसाइट पर एफ कार्ड धारकों एवं सीमाशुल्क ब्रोकरों का ब्यौरा देना।
Giving the details of F card holders and Customs Brokers on Website of Cochin Customs
अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस संबंध में कार्रवाई पूरी की जा चुकी है और सीमाशुल्क ब्रोकरों, एफ कार्ड धारकों और उनके टेलीफोन नंबरों का ब्यौरा कोचिन सीमाशुल्क की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
The Chairman informed that the action in this regard has been completed and details of Customs Brakers, F Card holders and their contact numbers have been uplaaded an the Website of Cachin Custom Hause.
2. एनईएफटी के माध्यम से इंडियन लाइट हाउस का बकाया भुगतान करना, कार्यान्वित नहीं किया गया।
Remittance of Indian Light House dues through NEFT, not implemented
अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस मामले को नियमित कार्यसूची के भाग के रूप में उठाया जाएगा।
The Chairman informed that this matter would be taken up as part of the regular agenda.
3. फैक्ट्री स्टाफ किए गए निर्यात कारगो की चेक लिस्ट के साथ लगने वाले सभी दस्तावेजों पर सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा केंद्रीय उत्पादशुल्क अधीक्षक के हस्ताक्षर होने पर जोर दिया जाना।
Customs Officers were insisting on signature of Superintendent of Central Excise in all documents accompanying check list for factory stuffed export cargo.
अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं और श्री एब्रहाम फिलिप ने सूचित किया कि यह मामला संतोषजनक रूप से निपटाया गया है।
The Chairman informed that necessary instructians have been issued in this regard and Shri. Abraham Philip informed that issue has been satisfactorily resolved.

इसके बाद विभिन्न पणधारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए नए मुद्दे चर्चा के लिए उठाए गए।
After this fresh points that is submitted by the various stake holders taken up for discussion.

कोचिन स्टीमर एजेंट एसोसिएशन द्वारा उठाया गया मुद्दा
Points raised by Cochin Steamer Agents Association.

1. इंडियन लाइट हाउस के बकाये का भुगतान एनईएफटी के माध्यम से करना, अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है।
Remittance of Indian Light House Dues through NEFT, still not implemented.
अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि सीमाशुल्क अधीक्षक (आई एवं बी) को यूज़र आईडी और पासवर्ड जारी करने के लिए उचित अधिकारी के रूप में नामित करते हुए इस मामले पर दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, कोचिन के साथ विचार किया गया है। तथापि, यह पाया गया है कि इस संबंध में सरकारी आदेश

अभी जारी किया जाना है इसलिए यह कार्यक्रम अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है। जब उक्त कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा तो इसे सीमाशुल्क गृह में भी चालू किया जाएगा।

The Chairman informed that the matter has been taken up with the Directorate of Lighthouses & Lightships, Cochin, nominating Superintendent of Customs (I&B) as proper Officer for issuing User ID and password. However it has been found that the Government Order in this regard is yet to be issued and hence this programme has not been implemented yet. As soon as the same is implemented this would be made functional in this Custom House also.

2. रीफर कारगो का वज़न किया जाना
Weighing of Reefer cargo

यह सूचित किया गया कि कोचिन में सीमाशुल्क अधिकारी रीफर कंटेनरों द्वारा ले जाने वाले कारगो सहित, कारगो के वज़न करने पर ज़ोर दे रहे हैं और वज़न में फर्क आने पर जुर्माना भी लगा रहे हैं।

It was informed that Customs Officers in Cochin are insisting on weighing of cargoes including those carried by reefer containers and penalties are also been imposed on weight difference.

अध्यक्ष महोदय ने उत्तर दिया कि रीफर कंटेनरों सहित सभी कंटेनरों को तोलना ज़रूरी है और जहां कारगो के भार के आधार पर मूल्य और शुल्क का निर्धारण किया जाता है, वहां मूल्य और शुल्क में उचित संशोधन किए जाते हैं। नमी और परिवहन जैसे कारणों से रीफर कारगो ले जाने वाले कंटेनरों के भार बढ़ने के विशेष मामले के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस संबंध में अन्य बंदरगाहों में अनुसरण की जाने वाली कार्यप्रणाली का सत्यापन किया जाएगा। यह भी सूचित किया गया कि इस मामले में आयातकों को कोई कठिनाई नहीं होगी।

The Chairman replied that all containers including reefer containers have to be weighed and where the value and duty are arrived at based on the weight of the cargo appropriate corrections in value and duty have been made. To the specific issue of contents of reefer cargo gaining weight on account of issues relating to humidification and transportation, Chairman informed that the practice followed in this regard in the other ports would be verified. It was also informed that importers would not be subjected to any difficulty on this account.

3. शिपिंग लाइनों द्वारा डेलिवरी आदेश जारी किए बिना माल के जांच की अनुमति देने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में शिपिंग लाइनों को ऐसी जांच का पता नहीं चलता है और ऐसा अंदेश है कि यदि जांच में माल की गुणवत्ता/मात्रा में कोई कमी दिखी, तो आयातक ऐसे माल की डेलिवरी लेने से इन्कार करे, ऐसे मामले में उक्त बक्सों और उनके अंदर का सामान शिपिंग लाइन के पास अटका रहेगा। यह अनुरोध किया गया कि डेलिवरी आदेश के बिना किए जाने वाले जांच की घटनाओं को न्यूनतम रखा जाए।

There is provision for goods to be allowed examination without issue of delivery order by the Shipping lines. In such cases the shipping lines are in dark about such examination and there is a worry that the importer may not take delivery of the goods in case examination reveals any issues in quality/quantity of the goods, in which case the line would be stuck with the box and its contents. It was requested that such cases of examination without delivery order be kept to minimum.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस संबंध में सीमाशुल्क द्वारा जारी की गई व्यापार सुविधा जेएनसीएच, न्हावा शेवा एवं सीमाशुल्क गृह कलकत्ता द्वारा जारी की गई व्यापार सुविधा के समान है। इसके अलावा, अधिकारियों को निदेश दिए गए हैं कि वितरण आदेश के बिना जांच की अनुमति केवल आयुक्त के अनुमोदन से ही प्रदान की जाए और अभी तक ऐसा कोई भी अनुरोध अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में नहीं लाया गया है। इस प्रकार, आयातकों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इसका कोई गलत इस्तेमाल न हो।

The Chairman informed that the trade facility issued by Customs in this regard is in line with that issued by JNCH, Nhava Sheva and Calcutta Custom House. Further, directions have been issued to the Officers that permission for examination without delivery order should be granted only with the approval of Commissioner and so far no such request have been

brought to the attention of the undersigned. Thus while this facility would be available for importers, it would be ensured that there is no misuse of the same.

सीमाशुल्क ब्रोकर्स एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दे

POINTS RAISED BY CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION

1. यह देखा गया है कि ईडीआई प्रणाली के सुधार/परिवर्तन करने के कार्य नियमित रूप से सप्ताह के अंत में किए जाते हैं और इससे ई-भुगतान करने में मुश्किलें होती हैं जिसके कारण व्यापार जगत को परेशानी होती है। कृपया यह मामला सिस्टम महानिदेशालय के ध्यान में लाया जाए।

It is seen that work involving upgrading/alterations in EDI systems take place during weekends on regular basis and they often create difficulties in making E payments which is creating problems for the trade. This matter may kindly be taken up with the Systems Directorate.

अध्यक्ष महोदय ने उत्तर दिया कि यह मामला पहले ही सिस्टम महानिदेशालय के ध्यान में लाया जा चुका है और वे समस्या को सुलझाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा आयातक को माल की तत्काल आवश्यकता पड़ने वाले मामलों में शुल्क की राशि का डीडी प्रस्तुत किए जाने के बाद हाथ से की जाने वाली प्रक्रिया के माध्यम से निकासी देने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

The Chairman replied that this matter has already been brought to the attention of the Systems Directorate and they have been working towards solving the problems. Moreover in those cases where goods are required urgently by the importer provisions are being made for granting permission for manual clearance after DD for the duty amount is submitted.

2. कुछ सीएफएस में मूल्यनिरूपक अधिकारी बिल ऑफ लैडिंग की मूल प्रति की मांग कर रहे हैं, जो आयातक द्वारा डेलिवरी आदेश प्राप्त करते समय जमा कर दी गई होती है। इस संबंध में अनुदेश जारी किए जाएं।

The Appraising Officers in couple of CFSs are demanding original copy of the Bill of Lading which is surrendered by the importer while getting the delivery order. Instructions may be issued in this regard.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी डोक्स अधिकारियों को अनुदेश दिए जाएंगे कि माल की जांच करते समय वे बिल ऑफ लैडिंग की मूल प्रति के लिए ज़ोर न दिया जाना सुनिश्चित करें। तथापि, माल की जांच करते समय आयातक/सीएचए द्वारा उक्त दस्तावेज़ की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

The Chairman replied that instructions will be issued to all Docks Officers to ensure that they do not insist on original copy of Bill of Lading at the time of examination of goods. However self-attested copy of said document should be submitted by importer /CHA At the time of examination of goods .

3. एफएसएसएआई द्वारा नमूने लेने से इन्कार करने के कारण कई मामलों में विलंब होता है और इसके कारण निकासी के कार्य में भी विलंब होता है।

There are many instances of delays in cases where FSSAI refuses to draw samples and this in turn is delaying the clearance work.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि यह मामला सीमाशुल्क विभाग तथा सीमाशुल्क समन्वय एवं सुविधा समिति की गहन निगरानी में है। यह देखा गया है कि एफएसएसएआई द्वारा नमूने लेने के बाद हमेशा पांच कार्य दिवसों के अंदर परीक्षण के नतीजे मिल जाते हैं। लेबल लगाने संबंधी मानदंडों का अनुसरण न करने के कारण एफएसएसएआई द्वारा नमूने लेने से इन्कार करने के मामलों में सीमाशुल्क विभाग नमूने लेगा और एफएसएसएआई की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से माल के सुरक्षित होने। अनुमोदित गुणवत्ता का होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर और लेबल संबंधी कमियों को ठीक करने के बाद निकासी प्रदान की जाएगी। इस संबंध में अन्यथा कोई निदेश प्राप्त होने तक इस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

The Chairman informed that this matter is under close monitoring by Customs as well as to the Customs Co-ordination and Facilitation Committee. It is seen that in normal cases once FSSAI draw samples tests results are invariably received within five working days. In those cases where FSSAI refuse to draw samples on account of labelling parameters not being in

134

order Customs will draw the samples and clearance in such cases will be done after reports from FSSAI approved labs that goods are safe/of approved quality and deficiencies in labelling are rectified. This procedure would be followed till a direction otherwise is received in this regard.

4. निःशुल्क अवधि में कमी को कार्यान्वित करने के साथ-साथ ग्राउंड दर में कमी करना।

Reduction in ground rate along with implementation of reduction in free period

टीएएमपी ने पोर्ट टर्मिनल में आयात कारगो के लिए निःशुल्क अवधि को कम करने का निर्णय लिया है ताकि इसे जेएनपीटी एवं चेन्नई स्थित अन्य प्रमुख बंदरगाहों के समान बनाया जाए। अतः आईजीटीपीएल को ग्राउंड दर घटाने के संबंध में अनुरोध भेजा जाए।

TAMP has decided to reduce the free period for import cargo within the port terminal to bring it in line with other major port terminals in JNPT and Chennai. Hence request may be made to IGTPPL for reducing the ground rent rates.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस मुद्दे को आईजीटीपीएल के साथ उठाया जाएगा।

The Chairman informed that this matter will be taken up with IGTPPL.

कन्सोलिडेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा उठाए गए मुद्दे।

POINTS RAISED BY CONSOLIDATORS ASSOCIATION OF INDIA

1. सीएसईजेड प्रेषित माल के लिए नया कोड बनाने के कारण आयात कन्सोल मैनिफेस्ट दायर करने में कठिनाई होती है। सीएसईजेड के लिए प्रेषित माल हेतु नया कोड बनाने के बाद सीएसईजेड के लिए एलसीएल कारगो मैनिफेस्ट दायर करते समय व्यावहारिक दिक्कतें हो रही हैं। इन दिक्कतों को दूर करने तक हाथ से निकासी करने की अनुमति दी जाए।

Difficulty in filing import console manifest due to new code created for CSEZ consignments. It was informed that after new code was created for consignments for CSEZ there are practical difficulties when it comes to filing console manifest for LCL cargo Manifest for CSEZ. Till such difficulties are solved, permission for manual clearance may be allowed.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस संबंध में प्रक्रिया यह है कि आईजीएम में उस सीएफएस का उल्लेख किया जाए जहां कंटेनर को ले जाना है; कंटेनर को सीएफएस में ले जाने और माल उतारने के बाद, सीएसईजेड में ले जाने वाले एलसीएल कारगो के लिए मैनिफेस्ट को सीएसईजेड कोड को जोड़ते हुए संबंधी संशोधन के माध्यम से संशोधित किया जाना है। यह प्रक्रिया हाल ही में शुरू की गई है इसलिए इसे समझने और इसका प्रयोग करने में कुछ शुरुआती कठिनाइयां आ सकती हैं। कन्सोलिडेटर्स एसोसिएशन इस प्रक्रिया का छोटा सा नमूना देखने के लिए ईडीआई अनुभाग से संपर्क कर सकता है ताकि उनके सदस्य इस प्रक्रिया का अनुसरण करना समझ सकें। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस संबंध में संशोधनों को बिना किसी देरी के कार्यान्वित किया जाए।

The Chairman informed that procedure in this regard is to indicate the CFS to which the container is to be moved in the IGM; after moving the container to the CFS and destuffing , manifest needs to be amended for those LCL cargo which are to move to CSEZ by adding the CSEZ code through an amendment for the respective Since this procedure has been recently introduced there would have been initial difficulties in understanding and dealing it. Consolidators association can approach the EDI section for holding small demonstration in this regard so that their members can understand how procedure can be followed. It would be ensured that amendments in this regard are carried out without any lapse of time.

2. अन्य बंदरगाहों से आने वाले बंधक कारगो के लिए ईडीआई मैनिफेस्ट दायर करना। यह सूचित किया गया कि यह सुविधा एयर कारगो कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है, लेकिन सीमाशुल्क गृह में यह उपलब्ध नहीं कराई है।
Filing of EDI manifest for bonded cargo arriving from other ports. It was informed that this facility is available in Air Cargo Complex, but the same is not provided in Custom House.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि ईडीआई अनुभाग इसकी जांच करेगा और उचित कार्रवाई की जाएगी।

The Chairman informed that this would be looked into by EDI Section and appropriate action will be taken.

3. शिपिंग बिलों को आईसीईएस में अपलोड करने और उन्हें डीजीएफटी में अंतरित करने में देरी।

Delay in uploading the Shipping Bills on ICES and transferring the same to DGFT

ईपीसीईएस, कोचिन का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री एन.एन. मेनन ने शिपिंग बिलों को आईसीईएस में अपलोड करने और उन्हें डीजीएफटी में अंतरित करने में हो रही देरी से संबंधित मुद्दे उठाए। उन्होंने सूचित किया कि वर्तमान में हाथ से तैयार की जाने वाली ईपी प्रतियों की प्रक्रिया समाप्त की गई है और आईसीईएस ही शिपिंग बिल के सभी आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से डीजीएफटी में अंतरित करता है। तथापि, कुछ निर्यातकों से शुरुआती दिनों में कुछ चूक हुई है, जैसे कि उन्होंने दावा प्राप्त करने के कालम में 'हां' के स्थान पर 'नहीं' भर दिया था। यह देखा गया है कि ऐसे शिपिंग बिल डीजीएफटी को अंतरित करने के लिए आईसीईएस द्वारा नहीं लिए गए हैं। मूल आदेशों के अनुसार इस सुविधा का फायदा उठाते हैं या नहीं इस पर ध्यान न देते हुए सभी बिलों को आईसीईएस में कैप्चर करना चाहिए और डीजीएफटी को अंतरित करना चाहिए।

Shri. N.N. Menon, representative of EPCES, Cochin raised points regarding delay in uploading the Shipping Bills on ICES and transferring the same to DGFT. He informed that presently the concept of manual EP copies has been done away with and ICES is transferring all the data in the Shipping Bills to the DGFT electronically. However certain mistakes had happened on the part of certain exporters during the initial days wherein they had filled the column relating to avilment of reward claims as "No" instead of indicating "yes". It is seen that such Shipping Bills have not been captured by ICES for transferring to DGFT. As per the original mandate Shipping Bills irrespective of whether they were availing this benefit or not are required to be captured in ICES and transferred to DGFT.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस मामले पर सिस्टम महानिदेशालय द्वारा विचार किया जाएगा।
The Chairman informed that this matter would be taken up by DG Systems.

4. सीएफएस को कंटेनरों के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं।

Container details to be made available to CFS's

जीकेडीएल के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि किसी आईजीएम में उनके सीएफएस के लिए निर्धारित कंटेनरों के ब्यौरे उन्हें नहीं मिल रहे थे और अनुरोध किया कि क्या वही, उन्हें वे ब्यौरे प्रदान कर सकते हैं।

The representative for GDKL informed that they were not getting details of containers which are earmarked to their CFS in an IGM and requested whether the same can be provided these details.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि वर्तमान में पोर्ट टर्मिनलों और सीएफएस के बीच विभिन्न सीएफएसों को भेजे गए कंटेनरों की सूचना भेजने की प्रणाली चालू नहीं की गई है। इसे चालू किए जाने तक, पोर्ट टर्मिनल आईजीएम-वार ब्यौरा सीएफएस को प्रदान कर सकता है। इससे सीएफएस को निःशुल्क अवधि समाप्त होने से पहले पोर्ट टर्मिनल से बक्सों का गमनागमन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

Chairman informed that presently the system of message transfer system between port terminals and CFS with regard to the containers sent to the various CFSs have not been made operational. Till the same is made operational, port terminal can provide details IGM wise to CFSs. This would help the CFS to ensure the movements of boxes from the port terminal before the free period gets over.

आईजीटीपीएल के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि यह काम हो जाएगा।

Representative of IGTPLE ensured that this would be done.

5. डायरेक्ट पोर्ट डेलिवरी होने पर कारगो के गमनागमन संबंधी प्रक्रिया

Procedure for movement of cargo on direct port delivery

अध्यक्ष महोदय ने डायरेक्ट पोर्ट डेलिवरी की सुविधा का लाभ उठाने वाले कंटेनरों हेतु प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 10.08.2015 को जारी व्यापार सुविधा 19/2015 की विषयवस्तु की ओर भी सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया।

The Chairman also brought to the attention of the members the details of the Trade Facility 19/2015 dated 10.08.2015 issued regarding procedure for containers availing facility of Direct Port Delivery.

चर्चा के लिए किसी अन्य मुद्दों के नहीं उठाए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय ने बैठक समाप्त होने की घोषणा की। अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद जापान के साथ 1630 बजे बैठक संपन्न की गई।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks from the Chair meeting ended at 1630 hrs.

स्थाई व्यापार सुविधा समिति समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह के वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in पर सूचित की जाएगी। चर्चा हेतु यदि कोई मुद्दा हो तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई मेल ccu@cochincustoms.gov.in के माध्यम से की जा सकती है।


The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in

Sd/-

(डॉ. के.एन. राघवन Dr. K.N. RAGHAVAN)

आयुक्त COMMISSIONER

//अनुप्रमाणित ATTESTED//



(बिंदु BINDU)

अधीक्षक (सीसीयू) SUPERINTENDENT (CCU)